संख्याः 1148/6-पु-8-17-804(70)/17

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

गृह (पुलिस) अनुभाग–8 लखनऊः दिनॉक : 27 जुलाई, 2017

विषय–राजकीय भवनों में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के संबंध में।

महोदय,

दिनांक 15 जुलाई, 2017 को किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ट्रामा सेंटर में हुई अग्नि दुर्घटना की समीक्षा में भवन में समुचित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का अभाव पाया गया। यह भी पाया गया कि समय–समय पर अग्निशमन विभाग द्वारा भवन का निरीक्षण कर अग्निशमन व्यवस्था में सुधार हेतु जो टिप्पणियां दी गयीं उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। यह भी पाया गया कि जो अग्निशमन उपकरण भवन में स्थापित भी किये गये हैं उनके संचालन हेतु न तो कोई प्रशिक्षित है और न ही किसी को तद्विषयक नोडल अधिकारी ही बनाया गया है। अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संबंधी प्राविधान में चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू–आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, के संबंध में निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित हैः–

1. भवन निर्माण के पूर्व उ0प्र0 अग्निशमन सेवा से मानचित्र का परीक्षण कराकर अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन प्राप्त करना।
2. भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात उ0प्र0 अग्निशमन सेवा के माध्यम से निरीक्षण कराकर कम्प्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना।
3. समय–समय पर मानचित्र के अनुमोदन तथा कम्प्लीशन सर्टिफ़िक्केट के अनुसार समस्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं जैसे पलायन मार्ग, कम्पार्टमेंटेशन, स्मोक मैनेजमेन्ट तथा भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था जैसे फायर डिटेक्शन, फायर हाईड्रेन्ड, फायर एक्सटिंग्यूशर इत्यादि के नवीनीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।
4. उक्त भवनों में प्रारम्भ के दो वर्षों मे तीन माह में एक बार एवं तत्पश्चात् प्रत्येक 06 माह में एक बार भवनों में रहने वाले अथवा कार्य करने वालों के द्वारा फायर ड्रिल कराया जाय जिससे सभी लोग अवगत हो सकें कि आग लगने अथवा भूकम्प या किसी आपातकालीन स्थिति में भवन से पलायन करने अथवा अग्नि सुरक्षा उपायों हेतु स्थापित यंत्रों/उपकरणों का संचालन एवं प्रयोग कैसे किया जाए।

2— उपरोक्त के क्रम में यह अपेक्षित है कि आपके विभाग के अधीन राजकीय, आवासीय व अनावासीय भवनों जिनमें उपरोक्त प्रस्तर–1 में दिये गये मानकों के अनुसार अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है, में अग्निशमन विभाग के जनपद स्तरीय प्रभारी मुख्य अग्निशमन अधिकारी से समन्वय कर निरीक्षण हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करा लें तथा निरीक्षण के उपरान्त निरीक्षण आख्या में अपेक्षित कार्यवाही के अनुसार अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित करा लें। अग्निशमन हेतु स्थापित उपकरणों आदि के संबंध में यह देख लिया जाए कि वे एक्सपायर तो नहीं हो गये हैं तथा भवन में उनके संचालन के लिए आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध हैं। नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार महत्वपूर्ण भवनों में यथाशीघ्र फायर ड्रिल कर ली जाए जिससे किसी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशमन अधिकारियों के पहुँचने के पूर्व स्थानीय स्तर पर ही आग पर काबू करने के लिए आवश्यक प्रबन्ध हो सके तथा जान–माल की क्षति को बचाया जा सके।

3— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि निरीक्षण के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यदि बजट की आवश्यकता होती है तो अनुपूरक बजट में अथवा आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में उसके लिये आवश्यकतानुसार धनराशि की मांग कर ली जाए।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्याः 1148(1)/6-पु-8-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1—पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2—पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, उ0प्र0 को इस आशय से कि समस्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी गण को भी तद्नुसार जनपद में शासकीय भवनों का चिन्हींकरण कर जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश प्रसारित कराने हेतु।
3—समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु ।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव, गृह।